

## भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर, पोस्ट—विधानसभा, रायपुर—492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur.ibm@gmail.com



क्र0- छग० / दुर्ग / चूप.-16 / रायपुर

खान कोडः ३८ छ.ग. ०१००८

दिनांक :--11.07.2017

प्रति,

श्री प्रदीप गोयल, पट्टेदार गीदम रोड, नयापाड़ा, पोस्ट– जगदलपुर, जिला– बस्तर (छ.ग.)–494001

विषय:-

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी छापरभानपुरी चूनापत्थर खदान 1.53 हे0 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 28.06.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री प्रदीप गोयल, खान मालिक एवं श्री ए०के० जॉन, क्यू०पी० की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

vide ation ed in oth of ining , and e slop
ation ed in oth of ining , and e slop
ed in oth of ining, and e slop
ed in oth of ining, and e slop
oth of ining , and e slop
ining , and
ining , and
, and
, and
slop
roper
every
every
ed for
ithin
ı day
ating
7 has
e and
ŀ

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7)(क) के अंतर्गत
  - (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
  - (ख) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
  - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पर के पारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ हेतु :-

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
- 2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिट्ल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर